न्यायालय जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी—डॉ0 गौरव सैनी

अपील संख्या— 03/24 तारीख रज्जू—02/02/24

1 धर्मपाल पुत्र चुन्नी जाति मीना निवासी ग्राम नांद तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

—— प्रार्थी

बनाम

1. हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैक, शाखा हिण्डौन सिटी जरिये सचिव हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैक लिमिटेड हिण्डौन सिटी जिला करौली (राज0) ।

— अप्रार्थी

निर्णय दिनांक— 02/05/2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 47 पुनर्विलोकन के अर्न्तगत न्यायालय जिला कलेक्टर करौली के प्रकरण सं0 19/2018 में पारित आदेश दिनांक 12/09/2018 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। चुकि प्रकरण तहसील टोडाभीम का है। जो वर्तमान में नवसृजित जिला गंगापुर सिटी के अर्न्तगत आता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई। उक्त निर्णय दिनांक 12/09/2018 द्वारा प्रार्थी की रहन रखी गई भूमि आराजी खं0नं0 492 रकबा 0.21, खं0नं0 493 रकबा 0.21, खं0नं0 549 रकबा 0.42, खं0नं0 552 रकबा 0.24, खं0नं0 563 रकबा 0.13, खं0नं0 564 रकबा 0.14, खं0नं0 601 रकबा 0.78, खं0नं0 602 रकबा 0.03, खं0नं0 821 रकबा 0.67, खं0नं0 1492 रकबा 0.01, खं0नं0 1493 रकबा 0.13, खं0नं0 1494 रकबा 0.06, खं0नं0 1495 रकबा 0.08, खं0नं0 1497 रकबा 0.40, खं0नं0 1498 रकबा 0.45, खं0नं0 1500 रकबा 0.88, खं0नं0 1501 रकबा 0.25, खं0नं0 1528 रकबा 0.25 कुल किता 18 कुल रकबा 5.34 हिस्सा 1/2 भाग बाके ग्राम नांद, पटवार हल्का गोरडा तहसील टोडाभीम को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अर्न्तगत हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैक लिमि0, शाखा हिण्डौन के पक्ष में अंतरित की गई, साथ ही वकील प्रार्थी ने पुनर्विलोकन (रिव्यू) प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 12/09/2018 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन की गई। वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थी अनुपस्थित। अप्रार्थी को बार—बार आवाज लगाई गई। लेकिन अप्रार्थी न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुआ। अतः वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

2/5/24

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि तत्कालीन न्यायालय जिला कलेक्टर करौली द्वारा प्रार्थी की भूमि खं0नं0 1492, 1493, 1494, 1495, 1497, 1498, 1500, 1501, 1528, 492, 493, 549, 552, 563, 564, 601, 602, 821 कुल किता 18 कुल रकबा 5.34 है0 हिस्सा 1/2 भाग बाके ग्राम नांद, तहसील टोडाभीम, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैक लिमिटेड शाखा हिण्डौन सिटी के पक्ष में अंतरित की गई है, तथा उक्त निर्णय दिनांक 12/09/2018 की पालना में रेवन्यू रिकार्ड जमाबन्दी में भी बैक हक में खातेदारी हो गयी है। न्यायालय हाजा द्वारा उक्त निर्णय इकतरफा किया गया जिसकी जानकारी प्रार्थी धर्मपाल को नहीं थी ना ही प्रार्थी धर्मपाल को नोटिस जारी किया गया था।

प्रार्थी धर्मपाल ने बैक का चुकता ऋण राशि मय ब्याज के जमा करा दिया है तथा कोई ऋण बकाया नहीं है। जिसका नोड्यूज प्रमाण पत्र दिनांक 25.07.2023 को जारी कर दिया गया है। इस संबंध में बैक ने प्रार्थी धर्मपाल के साथ समझौता कर लिया है कि प्रार्थी पूर्ण राशि मय ब्याज सहित जमा करवा देता है तो उसकी जमीन वापिस लोटा दी जावेगी। प्रार्थी धर्मपाल द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश टोडाभीम में राष्ट्रीय लोक अदालत में दिनांक 09/09/2023 को कृषक धर्मपाल के हक में राजीनामा की डिक्री पारित की गई है तथा बैक व कृषक धर्मपाल ने न्यायालय में राजीनामा पेश किया है जिसमें बैक शाखा ने भी यह कहां है कि कृषक धर्मपाल के उक्त भूमि की हिस्सा 1/2 की खातेदारी वापिस कृषक के हक में कर दी जावे तथा वकील प्रार्थी ने दौराने बहस यह भी बताया कि अप्रार्थी हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैक लि0 हिण्डौन ने अपने पत्रांक 282 दिनांक 14.03.2024 द्वारा भी खातेदारी वापस प्रार्थी को देने हेतु सहमति दी है, साथ ही वकील प्रार्थी ने रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय दिनांक 12/09/2018 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनने, उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 47 पुनर्विलोकन के अर्न्तगत प्रस्तुत किया है। सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 47 में स्पष्ट अंकित है कि आदेश 47 नियम 1 के अधीन पुनर्विलोकन की शक्ति सीमित है। इसका प्रयोग केवल किसी अशुद्धि या अभिलेख पर प्रकट होने वाली त्रुटि के निवारण के लिए किया जा सकता है अथवा किसी ऐसे महत्वपूर्ण मामले या सबूत की खोज जो डिक्री के समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका के निवारण हेतु किया जा सकता है। पुनर्विलोकन की शक्ति, अपील की शक्ति से भिन्न है। प्रत्येक तथ्यात्मक भूल या विधिक त्रुटि के लिए पुनर्विलोकन दायर नहीं की जा सकती है। प्रार्थी द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 12/09/2018 के समय अशुद्धि या अभिलेख पर प्रकट होने वाली त्रुटि के संबंध में तथा निर्णय के समय

2/4/24

अथवा निर्णय के पूर्व के संबंध में कोई भी नए साक्ष्य /दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र आदेश 47 सी0पी0सी के तहत निर्णय के लगभग 5 वर्ष बाद बैक की समस्त बकाया राशि जमा करवाकर उक्त निर्णय को निरस्त करवाना चाहता है। जो विधि के विपरित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उक्त परिस्थितियों में हमारे विनम्र अभिमत में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 47 सी0पी0सी0 के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय जिला कलेक्टर करौली के प्रकरण सं0 19/2018 में पारित आदेश दिनांक 12/09/2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक ०३/०५/२०२५..... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/5/25

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी